

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:- प1(1)कार्मिक/तकनीकी/32/2013/1547

दिनांक:- 23/08/2013

आदेश

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के आदेश क्रमांक प.10(1-1)नविवि/2010 दिनांक 21.8.2013 के अनुसरण में मण्डल के आदेश क्रमांक प1(1)कार्मिक/मुअभि./31/2013/1514 दिनांक 21.8.2013 के द्वारा मण्डल में मुख्य अभियन्ता का एक नवीन पद एवं अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता के पद के क्रमोन्नयन से एक पद अर्थात् मुख्य अभियन्ता के 2 पद स्वीकृत किये गये हैं। तदनुसार वर्तमान में मण्डल में मुख्य अभियन्ता के कुल 3 पद हो गये हैं।

उक्त क्रम में अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता के एक पद को मुख्य अभियन्ता के पद में क्रमोन्नत किये जाने के फलस्वरूप मण्डल में अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-पी एण्ड एम के पद को समाप्त किया जाता है।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से,

11/13

(टीकम चन्द बोहरा)
सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष / आवासन आयुक्त / मुख्य अभियन्ता, रा0आ0मंडल, जयपुर।
2. निजी सचिव-सचिव / वि0स0 एवं मुख्य लेखाधिकारी, रा0आ0मंडल, जयपुर।
3. मुख्य महा प्रबन्धक, आवास विकास लिमिटेड, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता / उप आवासन आयुक्त वृत्त.....।
5. आवासीय अभियन्ता, खंड..... राज0 आवासन मंडल.....।
6. संबंधित प्रकोष्ठ मुख्यालय राज0 आवासन मंडल, जयपुर।
7. लेखाधिकारी भुगतान / एसीआर / गोपनीय / विधि प्रकोष्ठ, रा0आ0मंडल, जयपुर।
8. संबंधित श्री
9. संबंधित की निजी पत्रावली / रक्षित पत्रावली।

23/08/13
सचिव

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:- प1(1)कार्मिक/तकनीकी/32/2013/1548

दिनांक:- 23/08/2013

आदेश

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के आदेश क्रमांक प.10(11)नवि/2010 दिनांक 21.8.2013 के अनुसरण में मण्डल के आदेश क्रमांक प1(1)कार्मिक/मु.अभि./31/2013/1514 दिनांक 21.8.2013 के द्वारा मण्डल में मुख्य अभियन्ता का एक नवीन पद एवं अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता के पद के क्रमोन्नयन से एक पद अर्थात् मुख्य अभियन्ता के 2 पद स्वीकृत किये गये हैं। तदनुसार वर्तमान में मण्डल में मुख्य अभियन्ता के कुल 3 पद हो गये हैं।

मुख्य अभियन्ताओं के तीन पदों के मध्य कार्य विभाजन पूर्ववर्ती प्रसारित कार्य विभाजन आदेशों के अधिक्रमण में निम्नानुसार प्रसारित किये जाते हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होंगे :-

मुख्य अभियन्ता -मुख्यालय

- 1 -नीति निर्धारण
- 2 -नियोजन एवं निगरानी (Planning & Monitoring)
- 3 -गुणवत्ता नियंत्रण (Third Party Inspection)
- 4 -वर्क्स कमेटी
- 5 -राज्य सरकार से सम्बन्धित समस्त कार्य
- 6 -समस्त कार्य जिनका अनुमोदन आवासन आयुक्त/अध्यक्ष/संचालक मण्डल एवं अन्य मण्डल समितियों के लिये आवश्यक हो।
- 7 -तकनीकी स्वीकृति हेतु अधीनस्थ कार्यालयों को निर्देशित करना, समय-समय पर स्पेसीफिकेशन बी.एस.आर. आदि जारी करवाना।
- 8 -अध्यक्ष महोदय, आवासन आयुक्त, निदेशक विधि, मुख्य सम्पदा प्रबन्धक एवं सचिव को समय-समय पर सूचनाएँ अधीनस्थ कार्यालय से उपलब्ध करवाना।
- 9 -लोकसभा राज्य सभा एवं विधान सभा में पूछे गये प्रश्नों का उत्तर भिजवाना।
- 10-मण्डल की प्रगति के संबन्ध में समय-समय पर प्रस्तुत करवाना।
- 11-राजस्थान आवासन मण्डल का बजट तैयार करवाकर उस पर प्रभावी नियंत्रण रखना।
- 12-मण्डल में विभिन्न निर्माणाधीन आवासों एवं विकास कार्यों का समय-समय पर निरीक्षण नोट जारी करवाना व निरीक्षण में दिये गये निर्देशों की पालना सुनिश्चित करना।
- 13-ऑडिट रिपोर्ट की पालना सुनिश्चित करवाना।
- 14-मण्डल द्वारा किये जाने वाले कार्यों के लिये आवश्यकतानुसार नीति निर्धारण के प्रस्ताव तैयार करवाकर मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करवाना।
- 15-कन्सलटेंट आर्किटेक्ट को सूचीबद्ध करना तथा विभिन्न परियोजनाओं हेतु नियुक्त करवाना।
- 16-संवेदकों को एए एवं ए तथा बी क्लास श्रेणी में सूचीबद्ध करना।
- 17-अन्य सम्बन्धित समस्त कार्य जो मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय को आवंटित नहीं किये गये हों, का सम्पादन करना।
- 18-अन्य सम्बन्धित प्रकरण जो समय-समय पर उच्च अधिकारियों द्वारा निर्देशित जावे।



मुख्य अभियन्ता- प्रथम

- 1 -वृत्त-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, जयपुर
- 2 -वृत्त-अलवर
- 3 -वृत्त-कोटा
- 4 -पी एच ई एवं विद्युत खण्ड
- 5 -अन्य सम्बन्धित प्रकरण जो समय-समय पर उच्च अधिकारियों द्वारा निर्देशित किये जावे ।

मुख्य अभियन्ता-द्वितीय

- 1 -वृत्त प्रथम/द्वितीय, जोधपुर
- 2 -वृत्त-बीकानेर
- 3 -वृत्त-उदयपुर
- 4 -भूमि अवाप्ति सम्बन्धित कार्य ।
- 5 -न्यूनतम विक्रय मूल्य निर्धारण करवाने सम्बन्धी कार्य ।
- 6 -अन्य सम्बन्धित प्रकरण जो समय-समय पर उच्च अधिकारियों द्वारा निर्देशित किये जावे ।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से,

५

(टीकम चन्द बोहरा)
सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष / आवासन आयुक्त / मुख्य अभियन्ता, रा0आ0मंडल, जयपुर ।
2. निजी सचिव-सचिव / वि0स0 एवं मुख्यलेखाधिकारी, रा0आ0मंडल, जयपुर ।
3. मुख्य महा प्रबन्धक, आवास विकास लिमिटेड, जयपुर ।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता / उप आवासन आयुक्त वृत्त..... ।
5. आवासीय अभियन्ता, खंड..... राज0 आवासन मंडल,..... ।
6. संबंधित प्रकोष्ठ मुख्यालय राज0 आवासन मंडल, जयपुर ।
7. लेखाधिकारी भुगतान / एसीआर / गोपनीय / विधि प्रकोष्ठ, रा0आ0मंडल, जयपुर ।
8. संबंधित की निजी पत्रावली / रक्षित पत्रावली ।

४
सचिव

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:- प1(1)कार्मिक/तकनीकी/32/2013/1549

दिनांक:-23/08/2013

आदेश

मण्डल के पूर्व प्रसारित पदोन्नति आदेश क्रमांक प1(1)कार्मिक/पदोन्नति/मु.अभि./2013/1526 दिनांक 22.8.2013 के द्वारा निम्नांकित अतिरिक्त मुख्य अभियन्ताओं को मुख्य अभियन्ता के पद पर पदोन्नत किया गया है। जिसके फलस्वरूप मण्डल में 3 मुख्य अभियन्ता हो गये हैं।

उक्त क्रम में मुख्य अभियन्ताओं को उनके नाम के सम्मुख अंकित पद पर एतद्वारा पदस्थापित किया जाता है :-

क्र.स.	नाम अधिकारी	नवीन पदस्थापन
1.	श्री के. सी. मीणा	मुख्य अभियन्ता-द्वितीय
2.	श्री घनश्याम बाघेला	मुख्य अभियन्ता-प्रथम
3.	श्री एच. एस. शर्मा	मुख्य अभियन्ता-मुख्यालय

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से,

(टीकम चन्द बोहरा)
सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/ आवासन आयुक्त/मुख्य अभियन्ता,रा0आ0मंडल,जयपुर।
2. निजी सचिव-सचिव/वि0स0 एवं मुख्यलेखाधिकारी,रा0आ0मंडल,जयपुर।
3. मुख्य महा प्रबन्धक, आवास विकास लिमिटेड, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/उप आवासन आयुक्त वृत.....।
5. आवासीय अभियन्ता, खंड..... राज0 आवासन मंडल,.....।
6. संबंधित प्रकोष्ठ मुख्यालय राज0 आवासन मंडल, जयपुर।
7. लेखाधिकारी भुगतान/ एसीआर/गोपनीय / विधि प्रकोष्ठ, रा0आ0मंडल,जयपुर।
8. संबंधित श्री।
9. संबंधित की निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

23/08/13
सचिव